वार्षिक रिपोर्ट 2015-16
Annual Report 2015-16

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है

ओ.बी.सी.

Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
Where every individual is committed

विषय–सूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	1–4
निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	5–6
सूचना Notice	7–18
निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	19–23
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	24–41
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन – मार्च, 2016 PILLAR III DISCLOSURES UNDER BASEL - III -YEAR ENDED – MARCH 2016	42–91
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	92–129
तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	130–131
अनुसूची 1–18 Schedules 1-18	132–182
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	183–185
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	186–187
लेखा परीक्षकों का प्रमाण–पत्र Auditor's Certificate	188
फार्म Forms	189–192

(क) रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल,
नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1
निकट पीवीआर नारायणा, नई दिल्ली-110028

(ख) उप महाप्रबंधक
मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
कॉरपोरेट कार्यालय, दूसरी मंजिल
सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया
गुड़गांव–122001 (हरियाणा)
फोन : 0124-4126285 / 4176918, फैक्स : 0124-4126574
वैबसाइट : www.obcindia.co.in

(a) Registrar & Share Transfer Agent
Link Intime India Pvt. Ltd.
44, Community Centre, 2nd Floor
Naraina Industrial Area
Phase-I, Near PVR Naraina
New Delhi-110028

(b) Dy. General Manager
Merchant Banking Department
Oriental Bank of Commerce
Corporate Office, 2nd Floor
Sector – 32, Institutional Area
Gurgaon-122001 (Haryana)
Ph: 0124-4126285 / 4176918
Fax: 0124-4126574
Website : www.obcindia.co.in

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 22वीं आम बैठक में, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूं। बैंक के कार्यनिष्पादन की प्रमुख बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व मैं सामान्य व्यापक आर्थिक परिवेश का उल्लेख करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कार्य–निष्पादन किया है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

वैश्विक आर्थिक परिवेश में विभिन्न कारणों से नरमी रही, निम्न औद्योगिक उत्पादन तथा पूंजी–बहिर्गमन के कारण चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित रही और कमजोर घरेलू आधारभूत प्रदर्शन से विकासशील बाजार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि बाधित रही।

इस परिवेश में, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी की वृद्धि दर 7.6% रही। राजकोषीय घाटा, चालू खाते का घाटा तथा मुद्रास्फीति सामान्य तौर पर नियंत्रित रहीं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में केवल 2.4% की वृद्धि एवं निर्यात में 15.85% की गिरावट (डॉलर में) दर्ज की गई। साथ ही, कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर व लौह तथा इस्पात दबावग्रस्त रहे यद्यपि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में जल्द सुधार हेतु अनेक कदम उठाएं हैं। कम पूंजीगत खर्चों के अवसरों के कारण ऋण की मांग भी कमजोर रही है।

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आस्ति गुणवत्ता मूल्यांकन (एक्यूआर) किया और इसके निष्कर्षों के आधार पर बैंकों को कुछ बड़े ऋण खातों को गैर–निष्पादक ऋण खातों के रूप में वर्गीकृत करने के निर्देश दिए, साथ ही अपेक्षाकृत ऐसे कमजोर खातों, जो वर्तमान में स्तरीय खातों की श्रेणी में हैं, के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, एक राज्य सरकार को खाद्य ऋण देने वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंक ऋण की बकाया राशि की तुलना में स्टॉक के मूल्यांकन के समाधान में पाई गईं कुछ अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं।

इन कठिन परिस्थितियों के कारण, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान भारतीय बैंकिग क्षेत्र की प्रगति दबाव में रही है। आस्ति गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई, प्रावधानन आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और इससे अधिकांश बैंकों की लाभप्रदता काफी कम हो गई है।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 22nd Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the year ended 31st March 2016. Before I present the performance highlights of the bank, I would like to place before you the general macroeconomic environment within which your bank has performed in FY15-16.

ECONOMIC BACKGROUND

The global economic environment remained subdued due to various factors, China's economic growth remained impacted by low industrial production and capital outflows and the weak domestic fundamentals of emerging market economies continue to restrain their growth.

Amidst this background, the Indian economy has shown a GDP growth rate of 7.6% for the Financial Year 2015-16. Fiscal deficit, current account deficit and inflation were generally contained. However, industrial production grew by only 2.4% and exports declined by 15.85% (in dollar terms) during FY15-16. Further, certain key sectors like Infrastructure, Power and Iron and Steel continued to remain under stress, though the Government of India has initiated various steps for early resolution of these sectors. Credit demand also remained subdued due to low capex opportunities.

During the year, the Reserve Bank of India conducted an Asset Quality Review (AQR) and based on their findings advised banks to classify certain big ticket borrowal accounts as non-performing and also build up additional provisions in potentially weak accounts which are presently in the standard category. Further, Reserve Bank of India had also advised banks, having exposure under Food Credit to one of the state governments, to make additional provisions in view of certain irregularities observed in the reconciliation of the value of stock against which bank finance was outstanding.

Due to this challenging backdrop, the growth of Indian Banking Sector remained under pressure in FY15-16. Asset quality was adversely impacted, provisioning requirements increased and thereby profitability of most of the banks has been substantially reduced.

आपके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सभी विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया और बैंक ने कॉरपोरेट थोक कारोबार से हटकर खुदरा कारोबार पर ध्यान देते हुए तुलनपत्र के समेकन की नीति को अपनाया है।

अब, मैं आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बैंक के कारोबार की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करता हूं:

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपके बैंक ने मार्च, 2016 को समाप्त अवधि को ₹3,62,554 करोड़ का कुल कारोबार करते हुए 2.98% की वृद्धि दर्ज की। जमा एवं कुल अग्रिम में क्रमशः 2.40% एवं 3.78%, की वृद्धि हुई। कासा जमा राशियों में 6.74% तथा खुदरा सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ से कम) में 12.27% की वृद्धि हुई। अन्य सावधि जमाराशियों (₹1 करोड़ एवं अधिक) में 9.72% की कमी हुई है। तदनुसार, जमाराशियों की लागत वित्तीय वर्ष 2014–15 के 7.69% से घटकर वित्तीय वर्ष 2015–16 में 7.19% हो गई। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज मार्जिन में सुधार होकर 2.61% से बढ़कर 2.66% हो गया।

- वित्त के महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा ऋण, कृषि एवं एमएसएमई रहे, कुल अग्रिम पोर्टफोलियो में इनका कुल अंश 46% रहा है। शेष 54% ऋण में कॉरपोरेट एवं अन्य ऋण हैं जो अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं। आपके बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण न्यूनतम विनियामक आवश्यकता 40% से अधिक होकर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.05% है। खुदरा ऋण में 17.94% की वृद्धि हुई और ये गत वर्ष के कुल अग्रिम के 10.66% की तुलना में मार्च, 2016 को 12.12% हो गए।

- पूर्वोक्त विभिन्न कारणों से, मार्च, 2016 का कुल एनपीए का स्तर बढ़कर 9.57% तथा निवल एनपीए बढ़कर 6.70% हो गया।

- मार्च, 2016 को परिचालनगत लाभ ₹3682 करोड़ एवं निवल लाभ ₹156 करोड़ रहा। प्रति कर्मचारी कारोबार ₹16.89 करोड़, प्रति शाखा कारोबार ₹154.21 करोड़ तथा प्रति शेयर बही मूल्य ₹416.72 रहा।

- वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने ₹1000 करोड़ की राशि के डेब्ट के रूप में बासेल III अनुपालक टियर–II पूंजी विलेख जुटाए। साथ ही, बैंक ने भारत सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों के आबंटन से क्रमशः ₹300 करोड़ एवं ₹178.40 करोड़ जुटाए। आपके बैंक की पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2015 को 11.41% (टियर–1 8.73%) से बढ़कर 31.03.2016 को 11.76% (टियर–I 9.10%) हो गई।

- आपके बैंक ने वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से लेन–देन बढ़ाने की पहचान की है तथा यह आपके बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नए उत्पाद एवं सेवाएं प्रारंभ की गईं हैं। डिजिटल चैनलों के तहत लेन–देनों के प्रतिशत में

Your bank complied with all the regulatory directions of RBI and adopted the policy of consolidating the balance sheet of the bank with focus on increasing retail business and move away from corporate bulk business.

Now, I would like to present before you the business highlights of the Bank for the FY15-16:

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- During FY 15-16, your Bank achieved a business mix of ₹3,62,554 crore at the end of March 2016 registering a growth of 2.98%. Deposits and Gross Advances grew by 2.40% and 3.78%, respectively. CASA deposits have grown by 6.74% and Retail Term Deposits (below ₹1 crore) have grown by 12.27%. Other Term Deposits (1crore and above) was reduced by 9.72%. Accordingly, the cost of deposits was reduced from 7.69% in FY14-15 to 7.19% in FY 15-16. The net interest margin improved from 2.61% to 2.66% during the same period.

- The thrust areas for finance have been Retail, Agriculture & MSME which together constitute 46% of the total advances portfolio. The balance 54% is Corporate and other Credit which is fulfilling the credit needs of the productive sectors of the economy. The Priority Sector (PS) Advances of your Bank was above the minimum regulatory requirement of 40% and stood at 41.05% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Retail Credit grew by 17.94% and constituted 12.12% of the total Advances as of March 2016 as against 10.66% the previous year.

- In view of the various factors mentioned earlier, the gross NPA level of Mar' 2016 increased to 9.57% and the net NPA increased to 6.70%.

- The Operating Profits stood at ₹3682 crore and Net Profit stood at ₹156 crore. Business per Employee was ₹16.89 crore, Business per Branch was ₹154.21 crore and Book value per share of the bank was ₹416.72 as of March 2016.

- During 2015-16, the Bank has raised Basel III compliant Tier II capital instrument in nature of debt amounting to ₹1000 crore. Further, capital of ₹300 crores and ₹178.40 crore has been raised from Government of India and LIC of India respectively through allotment of equity shares on preferential basis. The Capital Adequacy of your bank has increased from 11.41% (Tier-1 8.73%) as on 31.03.2015 to 11.76% (Tier-I 9.10%) as on 31.03.2016.

- Your bank has identified increasing transactions under alternate delivery channels as one of the top priorities of the bank. Various new products and services have been launched to achieve these objectives. The percentage transactions under digital channels is showing a continuous increase and the same stands at 54.43% in

लगातार वृद्धि हो रही है और यह गत वर्ष के 50.60% से बढ़कर मार्च, 2016 में 54.43% हो गए हैं और शाखाओं के माध्यम से लेनदेन गत वर्ष के 49.40% से घटकर 45.57% रह गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 100 नई शाखाएं खोली गईं और 78 नए एटीएम लगाए गए। अब, आपके बैंक में 2,351 शाखाओं एवं 2,566 एटीएम के साथ कुल 4,917 डिलीवरी चैनल हो गए हैं।

दक्षता निर्माण

आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के दक्षता निर्माण पर जोर देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु और वांछित परिणाम हासिल करने हेतु वर्ष के दौरान कई कदम उठाए हैं। मुख्य शिक्षण अधिकारी (सीएलओ), जो महाप्रबंधक स्तर तथा बैंक के नोएडा स्थित शीर्ष मानव संसाधन विकास संस्थान (एच.आर.डी.आई.) के प्रधानाचार्य हैं, के अंतर्गत अलग से एक वर्टिकल– प्रशिक्षण एवं विकास सृजित किया गया है। सभी पांच मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण पद्धति के नए तरीकों जैसे, केस स्ट्डीज, रोल प्ले, समूह प्रस्तुति, ई–लर्निंग एवं प्रतिभागियों से विचार–विमर्श को अपनाया जा रहा है। ऐसे केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 15–16 के दौरान सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों द्वारा पिछले वर्ष के 58564 की तुलना में समेकित रूप से 85047 प्रशिक्षण दिवस संचालित किए गए। बैंक द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से स्केल–IV एवं इससे ऊपर के कार्यपालकों के लिए विशेषीकृत नेतृत्व विकास एवं कार्यपालक विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, एच.आर.डी.आई., नोएडा को बैंकिंग कारोबार में बैंक कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। बैंक की योजना चरणबद्ध तरीके से सभी मानव संसाधन विकास संस्थानों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन प्राप्त करने की है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

आपका बैंक भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन उद्देश्यों को लागू कर रहा है। 31.03.2016 की यथास्थिति के अनुसार, प्रधान मंत्री जन धन योजना(पी.एम.जे.डी.वाई.) के अंतर्गत 36.71 लाख खाते खोले गए तथा इनमें 97% से अधिक खातों में रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई) में आपके बैंक ने वंचितों को ऋण प्रदान करने तथा उन्हें ₹10 लाख तक की सुलभ ऋण सहायता के लिए आबंटित ₹1295 करोड़ के लक्ष्य को पार किया है।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी

आपका बैंक सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे का सतत् रुप से अपग्रेडेशन एवं इसे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने को प्राथमिकता देता है। अपने ग्राहकों को बाधारहित सेवाएं मुहैया कराने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए बैंक ने सर्वोच्च स्तर के अपटाइम हेतु उपयुक्त लीज लाइन, एमपीएलएस एवं वीसैट का प्रयोग करते हुए सशक्त कॉरपोरेट नेटवर्क बनाया है। बैंक ने नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के नए वर्जन एफईबीए की शुरूआत की है। नई पीढ़ी को ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु नवीनतम तकनीक के साथ अन्य विभिन्न आकर्षक मूल्यवर्द्धित सेवाओं की भी शुरूआत की गई है।

March 2016 compared to 50.60% the previous year while transactions of branch channels have decreased to 45.57% in March 2016 from 49.40% the previous year.

- During FY15-16, 100 new Branches were opened and 78 new ATMs were installed. Presently, your Bank's total delivery channels stand at 4,917, comprising of 2,351 Branches and 2,566 ATMs.

CAPACITY BUIDLING

Your Bank has focused on Capacity Building to impart learning to all its employees and during the year has taken several steps to achieve the desired results. Training and Development has been created as separate Vertical under the Chief Learning Officer (CLO) who is in the rank of General Manager and is the Principal of the Bank's apex Human Resources Development Institute (HRDI) at Noida. All the five HRDIs are now adopting new age training methodology such as case studies, role plays, group presentations, e-learning and discussions by the participants . As a result of this focused approach, all the HRDIs together put in 85047 Training Man Days during FY15-16 as against 58564 during the previous year. The Bank also organized specialized Leadership Development and Executive Development Programs through reputed Institutes for Executives in Scale-IV and above.

The Apex Training Institute of the Bank, HRDI Noida has been awarded ISO 9001:2008 Certification for In-House Trainings of Bank Employees in Banking Business through Quality Management System. The Bank plans to have Quality Management Certification for all the HRDIs in a phased manner.

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

Your Bank has been implementing the financial inclusion objectives of the Government of India and Reserve Bank of India. As on 31.03.2016, 36.71 lac accounts have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in more than 97% of these accounts, RuPay cards have been issued. Further, your Bank has surpassed the allocated target of ₹1295 crores in the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) to fund the unfunded and extending affordable credit upto ₹10 lakh to them.

TECHNOLOGY FOR BETTER CUSTOMER SERVICE

Your Bank continues to give prime importance to the up gradation of the IT Infrastructure and aligning the same with the present day requirements. To strengthen the Bank's commitment towards uninterrupted service to its customers, Bank has built a robust Corporate Network using Leased Lines, MPLS and VSATs with sufficient redundancy to achieve highest level up time. The new version of net Banking application-FEBA has been launched. Various other attractive value added services with latest technologies have also been introduced to provide next generation customer service.

लाभांश

आपके निदेशक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 7.00% (₹0.70 प्रति शेयर) का लाभांश घोषित करने का सहर्ष प्रस्ताव करते हैं।

भावी योजना

भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। आशा है कि बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में भी वापसी होगी। आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान संसाधनों की लागत को कम करने, कासा जमाओं में वृद्धि, आरएएम क्रेडिट (रिटेल, कृषि व एम.एस.एम.ई. अग्रिम), अधिकतम वसूली एवं अपग्रेडेशन तथा वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के उपयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा।

समापन टिप्पणी

मैं, इस अवसर पर श्री अरूणीश चावला (भारत सरकार के नामिती निदेशक) एवं श्री राजकिरण राय जी. (कार्यकारी निदेशक) का स्वागत करता हूं, जिन्होंने वर्ष के दौरान निदेशक के रूप में मंडल में कार्यग्रहण किया। मैं, श्रीमती माला श्रीवास्तव (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने हाल ही में दिनांक 11.05.2016 को बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया।

मैं, श्री राजन कुमार (भारत सरकार के नामिती निदेशक), श्री पारस मल चोपड़ा (अंशकालिक सरकारी निदेशक), श्री भूपिन्दर नैय्यर एवं श्री सुरेश एन. पटेल (दोनों कार्यकारी निदेशक) जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल से निदेशक के रूप में अपना पदत्याग किया, का भी बैंक में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं मैं अपनी ओर से, बैंक के सभी शेयरधारकों द्वारा बैंक तथा प्रबंध वर्ग के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पण भावना तथा हमारे निष्ठावान ग्राहकों के सतत् सहयोग व संरक्षण के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का, उनके सतत् मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं भविष्य में भी आपके सतत् सहयोग और सरंक्षण की कामना करता हूं।

अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DIVIDEND

Your Directors are pleased to propose a dividend of 7.00% (i.e. ₹0.70 per share) for the financial year ended 31st March, 2016.

LOOKING FORWARD

The Indian economy is expected to show positive turnaround with the implementation of the various policy initiatives of Government of India and Reserve Bank of India. It is expected that banking sector growth will also rebound. Your Bank intends to intensify focus on reducing the cost of resources, increasing the CASA deposits, RAM credit (Retail, Agriculture & MSME advances), maximizing recovery and up gradation and increase the usage of alternate delivery channels during FY 16-17.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Shri Arunish Chawla (Government of India Nominee Director) and Shri Rajkiran Rai G. (Executive Director) who joined as Directors on the Board during the year. I also welcome Smt. Mala Srivastava (Part time Non Official Director) who has recently joined the Board of the Bank wef. 11.05.2016.

I also appreciate the contribution of Shri Rajan Kumar (Government of India Nominee Director), Shri Paras Mal Chopda (Part Time Official Director), Shri Bhupinder Nayyar and Shri Suresh N. Patel (both Executive Directors) who laid down office as Directors on the Board of the bank during FY15-16, for their valuable contributions to the bank.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I express my sincere thanks and gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Bank and the Management. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued support and patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and patronage in future also.

Animesh Chauhan
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री अनिमेष चौहान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Animesh Chauhan
Managing Director & CEO

श्री राजकिरण राय जी.
कार्यकारी निदेशक
Sh. Rajkiran Rai G.
Executive Director

श्री अरूणीश चावला
Sh. Arunish Chawla

श्री एस. गणेश कुमार
Sh. S. Ganesh Kumar

श्री किंग्शुक भट्टाचार्य
Sh. Kingshuk Bhattacharya

श्री नरेन्द्र जे. कोटियावाला
Sh. Narendra J. Kotiawala

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री दिनेश कुमार अग्रवाल
Sh. Dinesh Kumar Agrawal

श्रीमती माला श्रीवास्तव
Smt. Mala Srivastava

शीर्ष प्रबंधन वर्ग/Top Management Team

श्री एस. के. गोयल
Sh. S. K. Goyal
मुख्य सतर्कता अधि./CVO

श्री के. के. आचार्य
Sh. K. K. Acharya

श्रीमती विद्यावती रूद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री एन. के. चौहान
Sh. N. K. Chauhan

श्री नवलीन कुंद्रा
Sh. Navleen Kundra

श्री सीएच एसएस मल्लिकार्जुन राव
Sh. CH SS Mallikarjuna Rao

श्री एम. एल. सचदेवा
Sh. M. L. Sachdeva

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री मनोज सक्सेना
Sh. Manoj Saxena

श्रीमती शशि जैन
Smt. Shashi Jain

श्री टी. आर. लखानी
Sh. T. R. Lakhani

श्री एस. पी. चुघ
Sh. S. P. Chugh

श्री एस. सी. दास
Sh. S. C. Das

श्री पी. श्रीधर
Sh. P. Sreedhar

श्री एच. के. बत्रा
Sh. H. K. Batra

श्री डी. के. मल्होत्रा
Sh. D. K. Malhotra

श्री एस. के. कक्कड़
Sh. S. K. Kakkar

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

श्री के. ए. सलारिया
Sh. K. A. Salaria

श्री जितेन्दर मोहन सिंह
Sh. Jitender Mohan Singh

श्री आर. के. गोगना
Sh. R. K. Gogna

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 22वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार 23 जून, 2016 को प्रातः 10:00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कारोबार

मद सं. 1: ''31 मार्च, 2016 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार्यता।''

मद सं. 2: ''वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।''

विशेष कारोबार

मद सं. 3: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से ''अधिनियम'' कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से ''योजना'' कहा जाएगा) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से ''ओबीसी विनियम'' कहा जाएगा), तथा अन्य सभी लागू अधिनियम/कानून, किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियमन सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय–समय पर यथालागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/ विनियमन/दिशा–निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा/या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा) तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्याधीन है, बैंक के शेयधारकों को एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात् बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात् शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण/या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों पर लागू विधि

NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Thursday, 23rd June 2016 at 10.00 a.m. at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No. 2: "To declare dividend on equity shares for the financial year 2015-2016."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), the Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations"), and all other applicable Acts/Laws including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/ Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as (the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be

मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़/विवरणिका/ और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या/और/ या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमीयादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय है या नहीं हैं को ₹1500 करोड़ तक इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईपी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई) बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर/बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।''

''**संकल्प किया जाता है** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि–आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, अर्हता संस्थागत प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम, सेबी विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा/हामीदारों तथा/अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य/मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि सुसंगत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीकरण करार, अधिनियम के प्रावधानों, ओबीसी विनियम के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (अंतरण या भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी,

permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares and / or other permitted securities (which are capable of being converted into equity or not), may be issued for an amount not exceeding ₹1500 crore in such manner that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/others securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations, and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Act, the provisions of OBC Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999